संख्या: 642/79-6-10

प्रेषक,

सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिनाँक 26 अप्रैल, 2010

विषयः <u>मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त खाद्यान्न के भुगतान की व्यवस्था को जनपद स्तर पर विकेन्द्रित किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

वर्तमान मे मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1–5) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6–8) हेतु प्रति छात्र क्रमशः 100 ग्राम तथा 150 ग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। भारतीय खाद्य निगम के स्थानीय डिपो से खाद्यान्न का उठान एजेन्सियों के माध्यम से कराया जाता है तथा भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त बिलों का भुगतान केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भुगतान की इस व्यवस्था को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 से विकेन्द्रित करने का निर्णय लिया जा चुका है। इस विषय में भारत सरकार के पत्र संख्याः–एफ. **1–15/2009–डेस्क (एम.डी.एम.) दिनांक 10 फरवरी, 2010** (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त खाद्यान्न के भुगतान की प्रक्रिया को जनपद स्तर पर विकेन्द्रित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार के उक्त संदर्भित निर्देश के अनुक्रम में प्रदेश में खाद्यान्न के आवंटन, उठान एवं इस निमित्त भारतीय खाद्य निगम को भुगतान तथा इसके अनुश्रवण की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

2. <u>खाद्यान्न का आवंटन–</u>

2.1 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष में दो बार खाद्यान्न का आवंटन जारी किया जायेगा।

2.2 प्रथम छमाही आवंटन फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में, पिछले वर्ष की कार्ययोजना में अनुमोदित छात्र संख्या के आधार पर, किया जायेगा।

2.3 भारत सरकार द्वारा द्वितीय अथवा अंतिम छमाही आवंटन अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में प्रारम्भिक अवशेष एवं प्रथम छमाही आवंटन को घटाते हुए वर्तमान वर्ष की कार्ययोजना में अनुमोदित छात्र संख्या के आधार पर, किया जायेगा।

2.4 भारत सरकार द्वारा द्वितीय छमाही आवंटन के समयान्तर्गत जारी होने हेतु यह आवश्यक होगा कि पिछले वर्ष में आवंटित खाद्यान्न का उपभोग प्रमाण–पत्र अधिकतम 30 जून तक भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया जाय। अतः आपसे अपेक्षा है कि अपने जनपद से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण–पत्र अधिकतम 30 अप्रैल तक अवश्य उपलब्ध करा दें।

2.5 भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा त्रैमासिक आधार पर खाद्यान्न का जनपदवार आवंटन भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या एवं अनुमोदित कार्यदिवसों के आधार पर किया जायेगा।

2.6 जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि खाद्यान्न का उपभोग करने वाले प्रत्येक विद्यालय हेतु एक माह का बफर स्टॉक कार्यदायी संस्था (पंचायत समिति, वार्ड समिति, स्वयं सेवी संस्था, महिला समाख्या, इत्यादि) के पास उपलब्ध रहे जिससे आपूर्ति संबंधी किसी आवंछित बाधा के उत्पन्न होने पर भी मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन निर्बाध गति से होता रहे।

3. <u>गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न का उठान/आपूर्ति–</u>

3.1 भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी होगी कि अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न, जो कि किसी भी अवस्था में Fair Average Quality (FAQ) से कम न हो, योजना हेतु आवश्यक मात्रा में सतत् रूप से उनके डिपो पर उपलब्ध रहे। भारतीय खाद्य निगम योजनान्तर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करेगा।

3.2 राज्य स्तर से खाद्यान्न आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त जिला प्रशासन अपनी आवश्यकता, परिवहन सुलभता एवं भण्डारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न उठान हेतु एक **समय सारिणी** भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं स्थानीय डिपो को उपलब्ध करायेगा। जिला प्रशासन द्वारा उक्त समय सारिणी में अंकित सूचना के अनुसार खाद्यान्न का उठान मासिक, द्विमासिक या त्रैमासिक आधार पर किया जा सकता है।

3.3 प्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये खाद्यान्न आवंटन एवं जिला प्रशासन से प्राप्त समय सारिणी के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का उठान **आवंटन त्रैमास** के पिछले माह की प्रथम तिथि तथा आवंटन त्रैमास के अंतिम माह की 25वीं तिथि के मध्य सुनिश्चित किया जायेगा। उदाहरणार्थ, अप्रैल, 2010 से प्रारम्भ हो रहे त्रैमास हेतु आवंटित खाद्यान्न के उठान की समय सीमा 01 मार्च, 2010 से प्रारम्भ होकर 25 जून, 2010 तक होगी।

3.4 भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न उठान की मात्रा में अपने स्तर से कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इस विषय में पूर्व में भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र संख्या–4–3/2008–09– BP&II दिनांक 09.09.2009 एवं भारतीय खाद्य निगम से पत्र संख्या–26/1/2009–10/MDM-S-IX/Vol.II दिनांक 16.11.2009 द्वारा भारतीय खाद्य निगम के समस्त क्षेत्राधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं।

3.5 जिला प्रशासन एवं एफ0सी0आई0 डिपो यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित मात्रा से अधिक खाद्यान्न का उठान न हो।

3.6 जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एफ0सी0आई0 डिपो के प्रभारी एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के संयुक्त दल के निरीक्षण एवं उनके द्वारा यह प्रमाणित करने कि "खाद्यान्न कम से कम FAQ गुणवत्ता का है" के उपरान्त ही खाद्यान्न का एफ0सी0आई0 डिपो से उठान किया जाये। उपरोक्त सैंपलिग की रसीद तीन प्रतियों में संयुक्त दल के अधिकारियों द्वार हस्ताक्षरित की जायेगी। एक प्रति उठान एजेन्सी के अधिकारी को दी जायेगी तथा एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी।

3.7 सैम्पलिंग की प्रकिया राज्य सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम के संयुक्त दल के समक्ष की जायेगी तथा सैम्पल रसीदों को संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एवं सील किया जायेगा। उक्त प्रकिया में तीन सैम्पल तैयार किये जायेंगे जिनमें से एक राज्य सरकार के प्रतिनिधि को, एक भारतीय खाद्य निगम के जनपद कार्यालय को तथा एक एफ0सी0आई0 डिपो पर रखा जायेगा।

3.8 खाद्यान्न के उपरोक्त सैम्पल को तीन माह तक भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त खाद्यान्न के प्रतीक के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा। निम्न गुणवत्ता के खाद्यान्न की शिकायत प्राप्त होने पर इन सैम्पलों का उपयोग जांच हेतु किया जायेगा।

3.9 एफ0सी0आई0 डिपो से खाद्यान्न प्राप्त करते समय अपनायी गयी उपरोक्त सैम्पलिंग की प्रकिया प्रत्येक स्तर, यथा ब्लाक गोदाम, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, स्वयं सेवी संस्था इत्यादि स्तर पर भी दोहरायी जायेगी ताकि अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न ही छात्रों को उपभोग हेतु उपलब्ध हा सके।

4. <u>खाद्यान्न की लागत का भुगतान–</u>

4.1 **भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रेषित बिलो को प्राप्त करने एवं उनके समयान्तर्गत भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नामित किया जाता है।** भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय/जिला प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम का खाता संख्या एवं भुगतान प्राप्त करने का माध्यम (धनराशि अन्तरण/देयक) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत करायेंगे। जिला बेसिक शिक्षा

अधिकारी वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के उपरोक्त खाते में धनराशि अन्तरण/देयक जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

4.2 भारतीय खाद्य निगम माह में हुए खाद्यान्न उठान सम्बन्धी बिल अगले माह की 10 तारीख तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिल प्राप्त होते ही खाद्यान्न उठान की मात्रा को उठान एजेन्सी के जनपदीय अधिकारी से आगामी तीन दिवसों में सत्यापित कराते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बिल का भुगतान सुनिश्चित करायेंगे। भुगतान की यह प्रक्रिया बिल प्राप्त होने की तिथि से आगामी 20 दिवसों में सम्पन्न की जायेगी।

4.3 खाद्यान्न की लागत के भुगतान हेतु बजट उपलब्ध न होने/विलम्ब से प्राप्त होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा टी0आर0–27 के अन्तर्गत खाद्यान्न के बिल का भुगतान कराया जायेगा। उक्त रीति से भुगतान की गयी धनराशि को बजट प्राप्त होने के उपरान्त समायोजित कराया जायेगा।

5. <u>अनुश्रवण तन्त्र</u>–

5.1 जिलाधिकारी भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबन्धक एवं अन्य समस्त सम्बन्धित अधिकारियों के साथ प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में एक बैठक करेंगे जिसमें खाद्यान्न के उठान, गुणवत्ता एवं भुगतान के सम्बन्ध में उठे मुद्दों का समाधान करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा जिलाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में एक आख्या/सूचना (संलग्न प्रारूप पर) राज्य सरकार/मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को अगले माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या एंव दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री गया प्रसाद, निदेशक (एम0डी0एम0), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. अधिशासी निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, बारखम्भा रोड, नई दिल्ली।
3. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय खाद्य निगम, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0, गोखले मार्ग, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

26/4/10

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव

Annexure-1

Monthly Report for supply of foodgrains and payment made to FCI under Mid Day Meal Scheme

District:____________ Month:____________ Financial Year:____________

Quantity in QTLs
Amount in Rs. Lacs

Foodgrain Allocation till this month	Foodgrain lifted till last months	Foodgrain lifted during the month	Total Foodgrain lifted till this month	Foodgrains released to schools/cooking agencies till this month	Bill submitted by FCI (Till this Month)		Payment Made to FCI (Till this month)	
					Quantity	Amount	Quantity	Amount
1	2	3	4=2+3	5	6	7	8	9

Note: Information in Col-2 to Col-5 will be filled on the basis of written information obtained from district level officers of FCI and the lifting agency.

District Basic Education Officer

District Magisrate

No. F.1-15/2009-Desk(MDM)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy
Mid Day Meal Division
****

Shastri Bhawan, New Delhi.
Dated the 10th February, 2010.

To,

Secretaries and Principal Secretaries of Nodal Department dealing with MDM in all States/UTs

Subject: **Guidelines for decentralisation of payment of cost of foodgrains to FCI at District level under Mid Day Meal Scheme.**

Sir / Madam,

Under the National Programme of Mid Day Meal in Schools, free foodgrains are supplied to Districts @ 100 gms. and @ 150 gms. per child per day for children studying in schools at primary (class I to V) stage and Upper Primary (class VI-VIII) stage respectively. Local Depots of the Food Corporation of India (FCI) supply the foodgrains and centralized payment of the cost of foodgrains is made to the FCI by the Government of India without obtaining confirmation of lifting from the States/UTs as the confirmation process was taking a lot of time and causing undue hardship to the FCI. Centralized payment without confirmation is prone to delay and risk.

Now, the Government of India has decided to decentralize the payment of cost of foodgrains under the Mid Day Meal Scheme to the district level from the next financial year i.e. 2010-11 with effect from 1.4.2010. The procedure to be followed for supply of foodgrains by FCI and payment to be made to FCI towards cost of foodgrains supplied under the scheme is as under:-

2. <u>Allocation of Foodgrains</u>

2.1 Under the scheme, the foodgrains will be allocated biannually by the Department of School Education and Literacy with the concurrence of Department of Food and Public Distribution separately for Primary and Upper Primary level.

2.2 The first six monthly allocation will be made in the 1st week of February of the previous financial year on the basis of number of children and number of school days approved by Programme Approval Board of Mid Day Meal Scheme (MDM-PAB) for the previous year.

2.3 The second and final allocation of foodgrains will be made in the first week of August after deducting the unspent balance available with the States/UTs out of foodgrains allocated during the previous year and also the allocation made for the first six months from the annual allocation approved by MDM-PAB for the current year.

2.4 To ensure timely final allocation of foodgrains by Government of India, the States/UTs will send the utilisation certificate of the foodgrains supplied under the scheme during the previous year latest by 30th June. In the utilisation certificate, only the quantity actually consumed at the school/cooking agency level will be indicated as utilized. Whatever remains in their stores or godowns at school, cooking agency, Block and District levels will be shown as unspent balance.

2.5 On receiving allocation from the Government of India, the States/UTs will make district-wise allocation of the foodgrains, separately for primary and upper primary classes, in accordance with the number of children and number of working days approved for that particular district.

2.6 District administration will ensure that every consuming unit maintains a buffer stock of foodgrains required for a month to avoid disruption due to unforeseen exigencies.

3 **Supply/Lifting of Good Quality of Foodgrains**

3.1 It will be the responsibility of the FCI to ensure continuous availability of adequate quantity of good quality of foodgrains, which will be in any case not less than Fair Average Quality (FAQ), in its Depots. FCI will appoint a Nodal Officer for each State to take care of various problems in supply of foodgrains under the scheme.

3.2 The District administration, on receiving the allocation from the State/ UT will send a schedule (periodicity and date/week) of lifting of foodgrains to the local FCI Depot depending on its requirement, transportation convenience and storage capacity. Districts can lift foodgrains on monthly, bimonthly or quarterly basis as indicated in their schedule.

3.3 The FCI will allow lifting of foodgrains as per the allocation of the State Government and lifting schedule provided by the District administration starting from 1st day of the month preceding the allocation quarter and upto 25th of the last month of the allocation quarter. For example, the validity period for lifting of foodgrains for the quarter beginning April, 2010 will be from 1st March, 2010 to 25th of June, 2010.